न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 08/24

दायरा दिनांक 04.09.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

जुगनू पुत्र गुल्ली उम्र 76 वर्ष जाति जाटव निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला–बांरा

प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला–बांरा राज0

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

<u>निर्णय दिनांक – 20.03.2025</u>

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा अभिभाषक

अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं। यह कि प्रार्थी जुगनू पुत्र गुल्ली जाति जाटव निवासी मामोनी को दिनांक 27.06.1998 को ग्राम महुडीखेडा में आराजी ख0नं0 96/3 रकबा 3.00 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया था। आवंटन जुगनू पुत्र गुल्ली सही नाम से किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 02.08.1998 से सही नाम जुगनू पुत्र गुल्ली के नाम से खातेदारी दर्ज की गई। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम जुगनू पुत्र गुल्ली दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन राजस्वकर्मियों की लापरवाही त्रुटि से प्रार्थी के पिता का नाम गुल्ली के स्थान पर गलत नाम गुन्ची दर्ज कर दिया है। जिसको दुरूस्त किया जाकर जुगनू पुत्र गुल्ली दर्ज करने की कृपा करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी नायब तहसीलदार शाहावाद ने दिनांक 20.03.2025 को हाजिर अदालत होकर लिखित निवेदन किया कि प्रार्थी जुगनू के पिता का नाम आवंटन तथा नामान्तरकरण गैरखातेदारी नंबर 84 में गुल्ली दर्ज है, जिसे चौसाला जमाबंदी तैयार करते समय गुल्ली के स्थान पर गुन्ची कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त करने की सिफारिश की जाती है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार आवंटन में तथा गैरखातेदारी में उसके पिता का नाम गुल्ली दर्ज रहा है जिसे जमाबंदी बनाते समय गुन्ची गलत दर्ज कर दिया है। संलग्न पत्रावली प्रमाणित प्रति आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1998 तथा नामान्तरकरण नंबर 84 ग्राम महुडीखेडा में प्रार्थी की वल्दियत गुल्ली दर्ज है जिसे जमाबंदी संवत 2074–77 में गुन्ची दर्ज कर दिया गया है। नायब तहसीलदार शाहावाद ने जमाबंदी में किये गये उक्त इन्द्राज को गलत होना स्वीकार कर गुन्ची के स्थान पर गुल्ली दर्ज किये जाने की सिफारिश की है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा नायब तहसीलदार शाहावाद की सिफारिश [illegible] र पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 [illegible] कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम महुडीखेडा तहसील शाहावाद स्थित [illegible] ख0नं0 96/3 रकबा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

20/3/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

बीघा खाते में प्रार्थी जगनू की वल्दियत गुन्ची के स्थान पर गुल्ली दर्ज की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

20.03.2025

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner